105
16.08.2023

2023/236D

प्रपत्र – 6
प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2021

"खाता दुरूस्ती आवेदन पत्र"
(~~राज. काश्तकारी अधिनियम~~ RLR Act 1956 की धारा (33))

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
नावां (नागौर)

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बासणा जमाबंदी सम्वत 2075-76 खाता संख्या 23,24,74 में निम्नानुसार दर्ज है :-

अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि
रामचन्द्र पुत्र देवाराम जाति जाट	चन्द्राराम सुथा पुत्र देवाराम जाति जाट

अतः उक्त दुरूस्ती कर घोषित किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

दिनांक :- 23/5/23

चन्द्राराम सुथा
हस्ताक्षर वादी

रिपोर्ट हल्का पटवारी

प्रार्थी के आवेदन पत्र के अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों सहमति पत्र पंचनामा, शपथ-पत्र प्रार्थी व दो अन्य लोगों के अनुसार व आवश्यक दस्तावेज आधार, वोटर, राशन इत्यादि के जांच व मजमे आम MRC बरजन दिनांक 23.5.23 को उपस्थित लोगों के समक्ष कि जिसमें बताया कि प्रार्थी का नाम चन्द्राराम सुथा पुत्र देवाराम तथा जमाबंदी सम्वत 2075-76 में खाता सं. 23,24,74 में अंकित नाम रामचन्द्र पुत्र देवाराम जाति जाट दोनों एक ही व प्रार्थी के ही है। अतः प्रार्थी के प्रस्तुत दस्तावेजों व MRC बरजन में उपस्थित लोगों के बयानों अनुसार प्रार्थी/वादी चन्द्राराम सुथा का जमाबंदी में नाम संशोधन राज. काश्तकारी अधि. 1955 कि धारा-88 में किया जाना उचित है।

23/5/23

रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक

श्रीमान जी मुताबिक रिपोर्ट पटवारी तथा MRC कैम्प में मजमे आम जांच व प्रार्थी के समस्त आवश्यक दस्तावेज के आधार पर तथा शपथ पत्र के आधार पर रामचन्द्र के स्थान पर चन्द्राराम सुथा। कृपा जांच आगे है।

23/5/23
MRC बलिया कला

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी, जाँच दर्ज के अभिलेखों के साथ सादर प्रेषित है।

24/5/23
तहसीलदार (भू.अ.)
नावां (नागौर)

रिपोर्ट पटवारी, ILR, Tehsildar Nawa की जाँच रिपोर्ट मय स्पष्ट अनुशंसा व सरपंच की रिपोर्ट के आधार पर नाम दुरस्ती किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)